# डिजिटल नागरिकता प्रमाणपत्र: नियम 14 और 15 में संशोधन, G.S.R. 1007(E)

PCSMANTRA टीम | करेंट अफेयर्स | 28 नवंबर 2026

**क्यों चर्चा में?** गृह मंत्रालय ने 26 नवंबर 2026 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026, G.S.R. 1007(E) जारी किए, जो 27 नवंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होते ही प्रभावी हो गए। इन नियमों से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 (पंजीकरण द्वारा नागरिकता) और धारा 6 (देशीयकरण, यानी naturalisation द्वारा नागरिकता) के तहत प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूप में जारी किए जाएंगे; अनुरोध करने पर हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी भी मिलेगी। यह बदलाव नागरिकता सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम है।

## पृष्ठभूमि

नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत भारतीय नागरिकता पाँच तरीकों से मिलती है: जन्म, वंश, पंजीकरण (धारा 5), देशीयकरण (धारा 6) और क्षेत्र के भारत में विलय से। पंजीकरण और देशीयकरण के आवेदनों पर गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग, Foreigners Division) निर्णय लेता है, और अभी तक प्रमाणपत्र मुख्य रूप से भौतिक रूप में जारी होते थे। नागरिकता नियम, 2009 (G.S.R. 124(E), 25 फरवरी 2009) इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जिनमें पिछला संशोधन G.S.R. 742(E) (19 अगस्त 2026) से हुआ था। नया संशोधन इन्हीं नियमों के नियम 14 और 15 में हुआ है।

## मुख्य बिंदु

- **नियम 14(1), फॉर्म X:** धारा 5(1) के खंड (a), (c), (d), (e) और (f) के तहत पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलने पर प्रमाणपत्र अब फॉर्म X में डिजिटल हस्ताक्षर सहित जारी होगा।
- **नियम 14(2), फॉर्म XI:** धारा 5(1) के खंड (g), यानी OCI कार्डधारक (जो पंजीकृत OCI के रूप में 5 वर्ष + भारत में 12 माह निवास पूरा कर चुके हों), के लिए प्रमाणपत्र फॉर्म XI में डिजिटल रूप से जारी होगा।
- **नियम 14(2B), हार्ड कॉपी:** आवेदक अनुरोध करने पर हस्ताक्षरित भौतिक प्रतिलिपि भी पा सकेगा।
- **नियम 15(1), फॉर्म XII:** धारा 6(1) के तहत देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिलने पर प्रमाणपत्र फॉर्म XII में डिजिटल रूप से जारी होगा; नियम 15(1B) में भी संबंधित डिजिटल प्रावधान जोड़ा गया है।
- **हस्ताक्षर कर्ता:** प्रमाणपत्र पर अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी या गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे।
- **प्रभावी तिथि:** नियम 26 नवंबर 2026 को जारी हुए और 27 नवंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही लागू हो गए (G.S.R. 1007(E), अधिसूचना संख्या CG-DL-E-27112026-278194)।

## महत्व और चुनौतियाँ

**महत्व:** डिजिटल प्रमाणपत्र से आवेदकों को प्रमाणपत्र के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सत्यापन तेज़ होगा और नकली प्रमाणपत्रों का जोखिम घटेगा। यह नागरिकता सेवाओं को अन्य डिजिटल सेवाओं (जैसे पासपोर्ट और OCI) के समानान्तर लाता है और "ईज़ ऑफ लिविंग" की दिशा में कदम है। OCI कार्डधारकों (खंड g) के लिए स्पष्ट फॉर्म XI व्यवस्था प्रक्रिया को पारदर्शी बनाती है।
**चुनौतियाँ:** पहली, डिजिटल साक्षरता और पहुँच: विदेशों में रहने वाले आवेदकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कठिन हो सकती है, इसलिए हार्ड कॉपी का विकल्प महत्वपूर्ण है। दूसरी, डिजिटल हस्ताक्षरों का सत्यापन: विदेशी और घरेलू दोनों तरह के सत्यापनकर्ताओं को डिजिटल प्रमाणपत्र स्वीकार करने के लिए तकनीकी व्यवस्था चाहिए। तीसरी, डेटा सुरक्षा: नागरिकता अभिलेख संवेदनशील हैं, इसलिए डिजिटलीकरण के साथ साइबर-सुरक्षा और डेटा-संरक्षण कानून (DPDP अधिनियम, 2023) का पालन आवश्यक

है। चौथी, प्रक्रिया की गति: डिजिटल जारी करने से प्रमाणपत्र जल्दी मिलेंगे, परंतु आवेदन-निर्णय की समय-सीमा अलग मुद्दा है, जो इस संशोधन से नहीं बदलती।

## परीक्षा के लिए मुख्य तथ्य

| बिंदु | तथ्य |
|---|---|
| अधिसूचना | नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026, G.S.R. 1007(E) |
| जारी/प्रभावी तिथि | 26 नवंबर 2026 को जारी; 27 नवंबर 2026 को राजपत्र-प्रकाशन पर प्रभावी |
| धारा 5 (पंजीकरण) | खंड (a), (c), (d), (e), (f): फॉर्म X; खंड (g) (OCI): फॉर्म XI |
| धारा 6 (देशीयकरण) | धारा 6(1): फॉर्म XII (नियम 15(1), 15(1B)) |
| हार्ड कॉपी | अनुरोध पर उपलब्ध (नियम 14(2B)) |
| हस्ताक्षर कर्ता | अंडर सेक्रेटरी स्तर या अधिकृत अधिकारी, गृह मंत्रालय |
| मूल नियम | नागरिकता नियम, 2009 (G.S.R. 124(E), 25 फरवरी 2009); पिछला संशोधन G.S.R. 742(E), 19 अगस्त 2026 |
| विभाग | गृह मंत्रालय, विदेशी प्रभाग (Foreigners Division) |

## अभ्यास प्रश्न (प्रिलिम्स)

**प्रश्न: नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 और धारा 6 दोनों के प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप देते हैं। 2. OCI कार्डधारकों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र फॉर्म XI में जारी होगा। 3. नागरिकता से संबंधित आवेदनों पर विदेश मंत्रालय निर्णय लेता है।**

कौन-से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

### उत्तर और व्याख्या

**सही उत्तर: (a)**

कथन 1 सही है: नियम 14 (धारा 5, पंजीकरण) और नियम 15 (धारा 6, देशीयकरण) दोनों में डिजिटल प्रमाणपत्र का प्रावधान है।

कथन 2 सही है: धारा 5(1)(g) के OCI कार्डधारकों के लिए प्रमाणपत्र फॉर्म XI में जारी होगा।

कथन 3 ग़लत है: नागरिकता के आवेदनों पर गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) निर्णय लेता है, विदेश मंत्रालय नहीं।

## मेंस प्रश्न (GS-II, 10 अंक)

"नागरिकता प्रमाणपत्रों का डिजिटलीकरण सेवा-वितरण को सरल बनाता है, परंतु इसके साथ नई चुनौतियाँ भी आती हैं।" हालिया नियम-संशोधन के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

**उत्तर की रूपरेखा:**

**भूमिका में:**

G.S.R. 1007(E) (26 नवंबर 2026) का परिचय दें: नियम 14 और 15 में संशोधन, फॉर्म X, XI, XII।

**मुख्य भाग में:**

लाभ (गति, पारदर्शिता, नकली दस्तावेज़ों में कमी, OCI के लिए स्पष्टता) और चुनौतियाँ (डिजिटल पहुँच, सत्यापन-तंत्र, डेटा सुरक्षा) का संतुलित विश्लेषण करें; हार्ड कॉपी के विकल्प (नियम 14(2B)) का महत्व बताएँ।

**निष्कर्ष में:**

निष्कर्ष दें कि डिजिटलीकरण सही दिशा में कदम है, परंतु समावेशी पहुँच और डेटा-संरक्षण के प्रावधानों को मज़बूत करना ज़रूरी है।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

**प्रश्न 1: क्या अब हार्ड कॉपी प्रमाणपत्र नहीं मिलेगा?**
उत्तर: मिलेगा। नियम 14(2B) के तहत आवेदक अनुरोध करने पर हस्ताक्षरित भौतिक प्रतिलिपि पा सकता है; डिजिटल प्रमाणपत्र डिफ़ॉल्ट है, अनिवार्य नहीं।

**प्रश्न 2: OCI कार्डधारक किस फॉर्म में प्रमाणपत्र पाएँगे?**
उत्तर: धारा 5(1)(g) के तहत पंजीकरण कराने वाले OCI कार्डधारकों (5 वर्ष पंजीकृत OCI + भारत में 12 माह निवास) को प्रमाणपत्र फॉर्म XI में डिजिटल रूप से जारी किया जाएगा।

## स्रोत

- The Indian Express: Digital citizenship certificates for registration, naturalisation (27 नवंबर 2026)
- इंडिया गज़ट: G.S.R. 1007(E), नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 (CG-DL-E-27112026-278194)

---

यह लेख PCS Mantra की संपादकीय टीम ने उपर्युक्त स्रोतों के आधार पर अपने शब्दों में लिखा है। परीक्षा से पहले आधिकारिक अधिसूचनाएँ ज़रूर जाँच लें। कवर इमेज प्रतीकात्मक है। © pcsmantra.in